FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोंडेन्ट :–
धीरवीर सिंह सिसौदिया न्यायालय परिसर जैतारण, जिला पाली राज. 306302		लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 46/2021

G.C.M.S. No. -2021/133

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/5/21	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो। A जिला कलक्टर, पाली	835-844 25/5/21
18/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली के पत्रांक रा०लो० सू० अ० /100/2021/901 दिनांक 16-6-2021 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इस हेतु अपीलार्थी को अपना व्यक्तिगत पक्ष रखने हेतु उप० होना चाहिए। अपने खर्चे से आगामी तिथि 16/7/21 को उप० हो सकता है। पत्रावली उक्त दिनांक को पेश हो। A जिला कलेक्टर, पाली	931 21/6/21
16/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा [illegible] अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के [illegible] सू.अ. (ADM) पाली के विरुद्ध [illegible] इस न्यायालय [illegible] अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा [illegible] पर उन्होंने जरिये पत्रांक/रा.लो. सू.अ./100/2021/901 दिनांक 16/6/21 के अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनके जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./100/2021/871 दिनांक 7/6/21 के उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु अपीलांट को नोटिस क्र. 931 दिनांक 21/6/21 A जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:28 IST
Reason: SelfAttested

जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया। इसके बावजूद अपीलांट के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से यह माना जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है अत: हस्तगत अपील में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अत: अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:40:28 IST
Reason: SelfAttested